कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 528 /2016/रायगढ़, दिनांक – 05/05/2016

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 of Forest Land Construct Railway Line for Spur of East Rail Corridor from Kharsiya to Gurda & Gharghoda to Gare Pelma a distance of 38 (10+28)km (approx) in Raigarh District to be used for Freight & passanger service – Regarding.**

संदर्भः– आपका पत्र क्र./तक./2673 दिनाक 20.04.2016

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 से 11 तक आवश्यक सुधार करते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। अतः बिन्दु क्रमांक 01 से 11 तक की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. आवेदनकर्ता मुख्य परिचालन अधिकारी रेल कॉरीडोर रायपुर द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल में कुल 28.388 हे. हेतु प्रकरण पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 1.868 हे. राजस्व भूमि सम्मिलित हो गया था। जिसे अलग कर आवेदक संस्थान द्वारा 26.181 हे. का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर आनलाईन फार्म के पार्ट "2" में 26.181 दर्शित किया गया था। परन्तु डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपार्ट के आधार पर 26.520 हे. आने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा आनलाईन फार्म के पार्ट "1" में स्पष्टीकरण अपलोड किया गया है। जिसके आधार पर पुनः आनलाईन फार्म के पार्ट "2" को सुधारा गया है। (आवेदक संस्थान का स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न है)
2. प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े वृक्षों का विदोहन किया जाना है परियोजना में 4314 वृक्ष बताया गया है, जबकि आनलाईन में 1097 वृक्ष दर्शित है। के संबंध में लेख है कि गोलाई वर्ग 21–30 का प्रावधान आनलाईन में नहीं होने के कारण अंतर था, जिसे सुधार कर दिया है। 4314 वृक्षों का विवरण संलग्न है।
3. वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र की मूल प्रति कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग., रायपुर के कार्यालय को भेजा जा चुका है। इस कार्या. को प्रतिलिपि के तौर पर केवल छायाप्रति प्राप्त हुई थी। (छायाप्रति संलग्न है)
4. आनलाईन प्रकरण की टाईम लाईन की हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न है।
5. ऑनलाईन फार्म ए के पार्ट "2" की मूल हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।
6. इस वनक्षेत्र की वन्यप्राणी योजना ईस्ट रेल कॉरीडोर में समायोजित है।
7. प्रत्याशा मूल्य की राशि गणना कर निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है।
8. वृक्षों की प्रजाति Biotonical Name की सूची संलग्न है।
9. प्रस्तावित क्षेत्र के वन्यप्राणियों Zoological Name की सूची संलग्न है।
10. पृ.क्र. 11 एवं पृ.क्र. 128 (प्रपत्र–3) में कक्ष क्रमांक एवं आवेदित क्षेत्र में भिन्नता टंकण त्रुटिवश हो गया था, जिसका सुधार प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
11. त्रुटियों को सुधार कर टाईम लाईन मय हस्ताक्षर संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 529 /2016/रायगढ़, दिनांक :- 05/05/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमि., द्वितीय तल, सी.एस.आई.डी.सी. कार्मशियल काम्प्लेक्स, महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर (छ.ग.) की ओर।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़